

‘हीरो अपने आप
को और दूसरों को
सुरक्षित रखते हैं’

चाइल्ड रिस्ट्रेंट (बालक अवरोध) जान बचाते हैं

यह कानून है कि सात साल से कम के सारे बच्चों को उनकी आयु और आकार के अनुरूप एक अनुमोदित बालक अवरोध में सुरक्षित किया जाए। यदि वाहन में उपलब्ध हो तो सात साल की आयु के बच्चों को एक अनुमोदित बालक अवरोध में, और यदि उपलब्ध न हो तो, जो भी उपलब्ध हो उसी बालक अवरोध या सुरक्षा बेल्ट में सुरक्षित करना जरूरी है।